न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 88/2021

1. सुरेश पुत्र मोती
2. जगदीश पुत्र मोती
3. बजरंग पुत्र मोती

जातिगण गुसाई, निवासीगण गुसाई की ढाणी तन कारी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

4. हरलाल पुत्र उदा
5. लालचन्द पुत्र फुलचन्द
6. सोहनलाल पुत्र फुलचन्द

जाति मेघवंशी, निवासीगण गुसाई की ढाणी तन कारी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
2. भंवरी पत्नी मोती
3. संजु पुत्री मोती

जाति गुसाई, निवासीगण गुसाई की ढाणी तन कारी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

4. पतासीदेवी स्त्री फुलचन्द
5. रामस्वरूप पुत्र फुलचन्द
6. प्रभाती पुत्री फुलचन्द
7. शारदा पुत्री फुलचन्द

जातिगण मेघवंशी, निवासीगण गुसाई की ढाणी तन कारी, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

8. श्रीचन्द पुत्र लादूराम
9. नरेन्द्र पुत्र मामराज
10. सुनिल पुत्र मामराज
11. सहीराम पुत्र खांगाराम
12. राजवीर पुत्र रतिराम

समस्त जातियान जाट, निवासीगण जयसिंहपुरा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.08 16:31:13 IST
Reason: SelfAttested

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.12.2021 प्रकरण उनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ बनाम सुरेश वगैरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 मु0न0 6/2021 न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुंझुनूं।

1. श्री विजय सिंह शेखावत, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री विजय सिंह बोरान, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3, 6 व 7 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से उपस्थित।
4. श्री मदनसिंह गिल, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 8, 9, 10, 11, 12 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 30.01.2023

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ के आदेश दिनांक 06.12.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलान्टगण की ओर से अपील निम्नलिखित प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत का निर्णय व आदेश दिनांक 06.12.2021 खिलाफ कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत के समक्ष जो आवेदनपत्र आवेदनकर्ताओ के द्वारा पेश किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की भूमि के ख0न0 अंकित नही है मात्र केवल ढाका का बास से गुसाईयो की ढाणी तक प्रचलित रास्ता बताया गया है। अदालत मातहत ने स्वयं के द्वारा बिना किसी भौतिक सत्यापन व मौके का निरीक्षण किये वगैर पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान कर दिये तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत पटवारी रिपोर्ट बनवाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 के कब्जे काश्त की भूमि में से गैर कानूनी रूप से रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर निर्णय पारित कर दिया। ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खसरा नं0 हाल 2074/33, 2075/33, 1947/29 व 1946/29 में कभी भी गुसाईयो की ढाणी से ढाका का बास जाने का प्रचलित रास्ता नही रहा है। अगर दो प्रमुख गांवो को जोड़ने वाला प्रचलित रास्ता होता तो उसका रिकार्ड में इन्द्राज आवश्यक रूप से होता व दो पुराने व घनी आबादी वाले गांवो के मध्य प्रचलित रास्ता बन्द होना कदापि असम्भव है। केवल मात्र अदालत मातहत के समक्ष आवेदन कर्ता अपनी भूमि का बाजार मूल्य बढाने व वाणिज्यक लाभ हेतु उपयोग में लेने के लिये राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रभाव में लेकर गलत मौका रिपोर्ट तैयार का गलत रास्ते के लिये अपने हक में निर्णय पारित करवा लिया जो कानूनी रूप से अपीलान्टगण सं0 2 लगायत 7 के खातेदारी हको के विरूद्व है। हल्का पटवारी द्वारा विवादित भूमि रास्ते की मौका रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार नवलगढ को मौके पर उपस्थित होना आवश्यक था। लेकिन हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से आवदेनकर्ता व अनावेदनकर्ता की अनुमति व बिना सूचना के अन्य गांवों के व्यक्तियों की उपस्थिति में गलत मौका रिपोर्ट बनाकर पेशकर दी। अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को बिना जबाब पेश करने का अवसर दिये वगैर व बिना सुनवाई के निर्णय पारित कर दिया। न ही पत्रावली पर साक्ष्य ग्रहण की इसलिये अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना कियें वगैर निर्णय पारित किया है। तहसीलदार नवलगढ का पद रिक्त होने की वजह से नायब तहसीलदार मुकन्दगढ को केवल कार्यकारी पद का पदभार दिया गया लेकिन फिर भी आनन–फानन में गैर कानूनी रूप से निर्णय पारित कर दिया है। अदालत मातहत ने बिना ज्युडिसियल माइण्ड अप्लाई किये वगैर निर्णय दिनांक 06.12.2021 पारित कर दिया है। विवादित भूमि पर न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ द्वारा पहले से ही अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया हुआ है। लेकिन अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर गौर किये वगैर ही निर्णय पारित कर दिया। अपील पेश करते समय रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 उपस्थित नही होने की वजह से रेस्पोडेन्ट बनाया गया है। अतः अपील अपीलान्टगण पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 06.12.2021 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.08 16:31:13 IST
Reason: SelfAttested

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत के समक्ष जो आवेदनपत्र आवेदनकर्ताओ के द्वारा पेश किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की भूमि के ख0न0 अंकित नही है मात्र केवल ढाका का बास से गुसाईयो की ढाणी तक प्रचलित रास्ता बताया गया है। अदालत मातहत ने स्वयं के द्वारा बिना किसी भौतिक सत्यापन व मौके का निरीक्षण किये वगैर पटवारी हल्का को मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश प्रदान कर दिये तथा राजनैतिक प्रभाव में आकर गलत पटवारी रिपोर्ट बनवाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट नं0 2 लगायत 7 के कब्जे काश्त की भूमि में से गैर कानूनी रूप से रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर निर्णय पारित

कर दिया। ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में स्थित भूमि खसरा नं0 हाल 2074/33, 2075/33, 1947/29 व 1946/29 में कभी भी गुसाईयो की ढाणी से ढाका का बास जाने का प्रचलित रास्ता नही रहा है। अगर दो प्रमुख गांवो को जोड़ने वाला प्रचलित रास्ता होता तो उसका रिकार्ड में इन्द्राज आवश्यक रूप से होता व दो पुराने व घनी आबादी वाले गांवो के मध्य प्रचलित रास्ता बन्द होना कदापि असम्भव है। केवल मात्र अदालत मातहत के समक्ष आवेदन कर्ता अपनी भूमि का बाजार मूल्य बढाने व वाणिज्यक लाभ हेतु उपयोग में लेने के लिये राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रभाव में लेकर गलत मौका रिपोर्ट तैयार का गलत रास्ते के लिये अपने हक में निर्णय पारित करवा लिया जो कानूनी रूप से अपीलान्टगण सं0 2 लगायत 7 के खातेदारी हको के विरूद्ध है। हल्का पटवारी द्वारा विवादित भूमि रास्ते की मौका रिपोर्ट तैयार करते समय तहसीलदार नवलगढ को मौके पर उपस्थित होना आवश्यक था। लेकिन हल्का पटवारी ने अपनी मनमर्जी से आवदेनकर्ता व अनावेदनकर्ता की अनुमति व बिना सूचना के अन्य गांवों के व्यक्तियों की उपस्थिति में गलत मौका रिपोर्ट बनाकर पेशकर दी। अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को बिना जबाब पेश करने का अवसर दिये वगैर व बिना सुनवाई के निर्णय पारित कर दिया। न ही पत्रावली पर साक्ष्य ग्रहण की इसलिये अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना कियें वगैर निर्णय पारित किया है। तहसीलदार नवलगढ का पद रिक्त होने की वजह से नायब तहसीलदार मुकन्दगढ को केवल कार्यकारी पद का पदभार दिया गया लेकिन फिर भी आनन–फानन में गैर कानूनी रूप से निर्णय पारित कर दिया है। अदालत मातहत ने बिना ज्युडिसियल माइण्ड अप्लाई किये वगैर निर्णय दिनांक 06.12.2021 पारित कर दिया है। विवादित भूमि पर न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ द्वारा पहले से ही अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित किया हुआ है। लेकिन अदालत मातहत ने इन तथ्यो पर गौर किये वगैर ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 06.12.2021 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 4 व 5 के विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 2, 3, 6 व 7 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत सुनकर फैसला करदे। प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित कर दिया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 8, 9, 10, 11 व 12 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि तीन गांवों का रास्ता है। तीनों गांवों के व्यक्तियों के अदालत मातहत मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर है। अपीलान्ट स्वयं सोहन व सुरेश को भी प्रार्थना पत्र के संबंध मे जानकारी थी क्योंकि प्रार्थना पत्र पर अन्य व्यक्तियों के साथ उनके भी हस्ताक्षर है। अपीलान्ट्स द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर [illegible] आपत्ति पेश नही की है। प्रकरण मे पहले न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ ने निर्णय किया है उसके बाद तहसीलदार नवलगढ ने निर्णय किया है। अपीलान्ट्स द्वारा सडक को रोका गया था। विवादित रास्ता प्रचलित रास्ता है जिसके रोकने को अपीलान्ट्स को कोई हक अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने वकील अपीलान्ट्स के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि दो गांवों का प्रचलित रास्ता है। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई नियमानुसार रास्ता खोलते हुए समुचित निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम गुसाई की ढाणी पटवार हल्का कारी मे स्थित भ्झूमि ख0न0 हाल 2074/33, 2075/33, 1947/29 व 1946/29 गुसाईयों की ढाणी से ढाका का बास जाने वाला रास्ता प्रचलित रास्ता है। अपीलान्ट्स द्वारा गलत तरीके से उक्त रास्ते को बन्द किया गया था। तीन गांवों का रास्ता है। तीनों गांवों के व्यक्तियों के अदालत मातहत मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर है। अपीलान्ट स्वयं सोहन व सुरेश को भी प्रार्थना पत्र के संबंध मे जानकारी थी क्योंकि प्रार्थना पत्र पर अन्य व्यक्तियों के साथ उनके भी हस्ताक्षर है। अपीलान्ट्स द्वारा पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही की है। प्रकरण मे पहले न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ ने निर्णय किया है उसके बाद तहसीलदार नवलगढ ने निर्णय किया है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत मे विचाराधीन प्रकरण अपीलान्ट्स की जानकारी मे था। अदालत मातहत ने बाद सुनवाई समुचित निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित किया है। अदालत मातहत के निर्णय मे कोई त्रुटि नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट्स की यह अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 06.12.2021 यथावत रखा निरस्त किया जाता है। अपील खारिज होने की स्थिति मे प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नही है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर, झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.08 16:31:13 IST
Reason: SelfAttested